



श्रेयत,

जिलाधिकारी  
मधेपुरा।

सेवा में,

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक 24/3/17

विषय : दिनांक 24-03-2017 को मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित डिडियो कॉन्फ्रेंस से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आज दिनांक 24-03-2017 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में जिलाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा डिडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्धारित थी, जिसमें आपको ससमय उपस्थित रहना था, परन्तु आप अनुपस्थित थे। मुख्य सचिव द्वारा एन०एच-106 के भू-अर्जन पर असंतोष व्यक्त किया गया, परन्तु आवश्यक आंकड़ा उपलब्ध नहीं रहने के कारण वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा न केवल जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी, बल्कि मुख्य सचिव महोदय के आदेश का भी उल्लंघन किया गया, जो आपके कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता का स्रोतक है।

अतएव निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 48 घंटा के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि इतने महत्वपूर्ण डिडियो कॉन्फ्रेंस में रुचि नहीं लेने एवं विभागीय कार्य में शिथिलता बरतने के निमित्त क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाए। साथ ही स्पष्टीकरण पर निर्णय होने तक आपका वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है।

विश्वासभाजन

जिलाधिकारी

मधेपुरा।